

III

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2019-00724

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध श्री आशीष जायसवाल, पण्डरी, रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
15/7/19	<p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– अनावेदक श्री आशीष जायसवाल स्वयं उपस्थित।</p> <p>– प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक द्वारा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रियल इस्टेट एजेंट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दर्शाये बगैर, अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का बल्क एस.एम.एस के माध्यम से विज्ञापन/क्रय हेतु ऑफर प्रसारित किया गया था।</p> <p>– इस संबंध में अनावेदक को आहूत कर स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदक ने प्रमुख रूप से कथन किया है कि उनके द्वारा प्रेषित बल्क एस.एम.एस. में रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का विज्ञापन किया गया है। अनावेदक ने कथन किया है कि उनके द्वारा उक्त एस.एम.एस. में सद्भाविक त्रुटिवश रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रियल इस्टेट एजेंट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर उल्लेखित नहीं किया गया था। अनावेदक ने कथन किया है कि उनके द्वारा अब ऐसे एस.एम.एस. का प्रसार करना बंद कर दिया गया है। अनावेदक ने सद्भाविक त्रुटि की वजह से क्षमा याचना की है।</p> <p>– प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण में अनावेदक द्वारा बल्क एस.एम.एस. के माध्यम से जिस प्रोजेक्ट का विज्ञापन प्रसारित किया था, वह प्रोजेक्ट पूर्व से ही रेरा में पंजीकृत है। प्रकरण की परिस्थितियों से परिलक्षित होता है कि अनावेदक द्वारा की गई त्रुटि सद्भाविक है। अतः</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2019-00724

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध श्री आशीष जायसवाल, पण्डरी, रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>अनावेदक को भविष्य में किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर व रियल एस्टेट एजेंट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने तथा अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन न करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।</p> <p>— प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>(राजीव कुमार टम्टा) सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p> <p>(विवेक ढाँड) अध्यक्ष भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p> 	